भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *110
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 / 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

***110. श्री दिलीप शइकीयाः**
श्री प्रताप चंद षडङ्गीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उत्तरी सीमाओं पर गांवों के विकास के लिए शुरु किए गए वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शुरु किए गए कार्यकलापों और इसके तहत व्यापक विकास के लिए अनुमोदित गांवों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा पर स्थित गांवों के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *110, दिनांक 03.12.2024

<u>दिनांक 03.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *110 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लेखित विवरण</u>

केन्द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के 19 जिलों की उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी, 2023 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) को मंजूरी दी है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत फोकस्ड क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से चिन्हित गांवों में पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रचार-प्रसार, कौशल विकास एवं उद्यमिता क्षमता का निर्माण एवं कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की खेती आदि सहित सहकारी समितियों के विकास द्वारा जीविकोपार्जन के अवसर निर्माण की परिकल्पना की गई है। हस्तक्षेप के क्षेत्रों में असंबंध गांवों को सम्पर्क प्रदान करने हेतु सड़क निर्माण, ग्रामीण अवसंरचना, नवीकरणीय उर्जा सहित उर्जा की उपलब्धता, टेलीविजन एवं दूरसंचार संपर्क भी सम्मिलित है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गांवों में रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है।

कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित गांवों का ब्यौरा निम्नवत हैः

राज्य / संघ शासित राज्य	गांवों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	455
सिक्किम	46
उत्तराखंड	51
हिमाचल प्रदेश	75
लद्दाख (यूटी)	35

कार्यक्रम के अंतर्गत, 6800 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनमें जागरुकता अभियान, सेवा वितरण शिविर, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियां, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिविर, मेले एवं महोत्सव तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

कार्यक्रम के लिए कुल अनुमोदित वित्तीय आवंटन रुपये 4800 करोड़ है।

*****